आदेश

पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक–25.10.2018 तथा 08.01.2019 एवं बाद की तिथियों को आयोजित महानिदेशक पर्षद की बैठक में प्रोन्नति हेतु योग्य पाये गये निम्नांकित पुलिस अवर निरीक्षकों को उनके नाम के सामने कंडिका–07 में अंकित तिथि से पुलिस निरीक्षक की कोटि में औपबंधिक रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए कंडिका–08 में अंकित जिला/इकाई में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है। प्रोन्नत पद पर आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगाः–

क्र0	वरीयता क्र0	पु0अ0नि0 का नाम/ जन्म तिथि/गृह जिला /आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि	प्रोन्नति के बाद पदस्थापन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1214	अतुल कुमार मिश्रा/ सामान्य	15.11.60	प0 चम्पारण	बेगुसराय	02.12.18	मधुबनी
2	4027	अर्जुन प्रसाद/ पिछड़ा वर्ग	20.05.71	पटना	पटना	02.12.18	पटना
3	7207	जयप्रकाश सिंह–1 अनु0जन0 जाति	01.01.62	भागलपुर	नालन्दा	02.12.18	बेतिया
4	8049	धरमपाल पि0वर्ग	02.06.80	पटना	दरभंगा	02.12.18	समस्तीपुर
5	8050	शम्भु कुमार भगत/अति पिछड़ा	07.12.80	सिवान	भोजपुर	02.12.18	भोजपुर
6	8051	अखिलेश कुमार पि0वर्ग	05.12.78	सीतामढी	दरभंगा	02.12.18	दरभंगा
7	8053	मुकेश कुमार सामान्य	01.03.83	बेगुसराय	समस्तीपुर	02.12.18	समस्तीपुर
8	8064	प्रवेश कुमार भारती/ ओ0बी0सी0	05.05.80	भागलपुर	बाँका	02.12.18	पटना
9	8068	सत्यप्रकाश झा सामान्य	08.09.79	मधुबनी	दरभंगा	02.12.18	दरभंगा
10	8096	राधवेन्द्र कुमार सिंह, 25.10.1980 पुर्णियाँ/सामान्य	25.10.80	पूर्णिया	खगड़िया	02.12.18	खगड़िया
11	8116	मुकेश कुमार झा /सामान्य	01.01.81	झारखण्ड	खगड़िया	02.12.18	सारण
12	8122	अमित कुमार सामान्य	21.08.81	बेगुसराय	समस्तीपुर	02.12.18	समस्तीपुर
13	8125	अजीत कुमार सामान्य	14.11.76	मोतिहारी	वि0सु0द0	02.12.18	विशेष सुरक्षा दल
14	8137	विकाश कुमार राय/ सामान्य	04.12.82	प0 चम्पारण	मुजफ्फरपुर	02.12.18	मुजफ्फरपुर
15	8158	दिगम्बर कुमार पि0व0	17.05.84	मधुबनी	समस्तीपुर	02.12.18	मुजफ्फरपुर
16	8159	प्रशांत कुमार राय पिछड़ा वर्ग	01.04.75	पटना	गोपालगंज	02.12.18	गोपालगंज

17	8173	संजीव कु0 सिंह निराला /सामान्य	05.08.75	वैशाली	सिवान	तत्काल प्रभाव से	मुजफ्फरपुर
18	8175	मो0 मुश्ताक/ सामान्य	10.02.83	वैशाली	एस0टी0 एफ0	तत्काल प्रभाव से	नालंदा
19	8352	जितेन्द्र पाल/अनु0जाति पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–890/403742/पी–2, दिनांक–31.12.2018 द्वारा पाल का आरक्षण कोटि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति संशोधित किया गया है।	02.02.82	मुंगेर	भागलपुर	02.12.18	मुजफ्फरपुर
20	8418	अजय कुमार–3 /अनु0जाति	10.11.77	सीतामढी	वैशाली	02.12.18	वैशाली
21	8524	रामप्रीत कुमार/ अनु0जाति	15.02.81	मुंगेर	सि0प्र0वि0 नाथनगर	तत्काल प्रभाव से	बेगूसराय
22	8531	शम्भू पासवान/ अनु0जाति	29.01.80		लोकायुक्त कार्यालय पटना	तत्काल प्रभाव से	अरवल
23	7923	नागेन्द्र लाल दास सामान्य	31.12.60	मधुबनी	दरभंगा	02.12.18	पटना
24	8035	मनोज कुमार सिंह सामान्य	12.01.81	गोपालगंज	समस्तीपुर	02.12.18	पटना
25	8171	सत्येन्द्र कुमार/ सामान्य	07.01.73	नवादा	पटना	तत्काल प्रभाव से	मुजफ्फरपुर
26	8383	अजय कमार–1 /अनु0जाति	17.03.83	मुजफ्फरपुर	वैशाली	02.12.18	सारण
27	8520	मुकेश कुमार पासवान/अनु0जाति	13.01.79	खगड़िया	बेगूसराय	02.12.18	बेगूसराय

यह प्रोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है:

1. नव प्रोन्नत पुलिस निरीक्षक के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन में हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरूद्ध फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामलें में प्रक्षेत्रादेश/क्षेत्रादेश/जिलादेश रोककर अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाएगा।

2. यदि नव प्रोन्नत पुलिस निरीक्षक के सेवा अभिलेख में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आदेश में तदनुसार संशोधन/रद्द किया जायेगा।

3. यदि किसी वरीय पुलिस अवर निरीक्षक का मामला पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु प्रकाश में आता है तो उस स्थिति में इस प्रोन्नत्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा रिक्ति के अनुसार कनीय को अवर निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

4. मनोनयन प्राप्ति के बाद नव प्रोन्नत पुलिस निरीक्षक का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया हो तो ऐसी स्थिति में प्रोन्नत पदाधिकारी का जिलादेश/क्षेत्रादेश/प्रक्षेत्रादेश उनके वर्तमान पदस्थापन से निर्गत होगा।

5. कंडिका 1-क्रम सं0-(22),(23),(24),(25) एवं (26) के विरूद्ध गठित विभागीय कार्यवाही में संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा वृहद सजा दी गई थी। संबंधित विभागीय कार्यवाही में पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा दोषमुक्त किया गया है। उक्त विभागीय कार्यवाहियों में पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर से पारित आदेशों की समीक्षा बिहार पुलिस हस्तक नियम-853(ए) के तहत की जायेगी। उक्त पदाधिकारियों की प्रोन्नति पुलिस हस्तक नियम-853(ए) के अन्तर्गत समीक्षोपरान्त लिये जाने वाले निर्णय से प्रभावित होगा।

6. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं0-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामलें में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-9706, दिनांक-20.07.2018 के आलोक में गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक-9082, दिनांक-22.10.2018 द्वारा किये गये रोस्टर क्लीयरेंस के आधार पर यह प्रोन्नति प्रदान की गई है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

14/02/2019

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 76/412034 /पी-1
4-9-40-18
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना। 14.02.19

प्रतिलिपिः-

1. सभी सम्बन्धित पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे/इकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ

14/02/19

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।